तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
10-4-2020	पत्रावली पेश हुई/~~वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट~~/प्रार्थी/~~अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है~~। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्य में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14-2-2020 को पेश हो। [signature] रीडर
14-2-2020	वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी बहस को समय चाहते हैं। अतः वास्ते बहस पत्रावली दि० 27-2-2020 को पेश हो। [signature]
27-2-20	वकील प्रार्थी उप० हैं। वास्ते बहस पत्रावली दि० 5-3-20 को पेश हो। [signature]
5-3-2020	वकील प्रार्थी उप०। त०इ०प्रा०पत्र पर बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 13-3-2020 को पेश हो। [signature]
13-3-2020	वकील प्रार्थी उप०। इस न्यायालय द्वारा दि० 14-8-2018 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश ता फैसला दावा कन्फर्म किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। [signature] उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)

निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर०ए०एस०, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
57/2018	14.8.2018	13.3.2020

1. आरामसिंह पुत्र हरज्ञान, गुर्जर निवासी हिंगोट्या तहसील गंगापुर सिटी
2. कैलाश पुत्र हरज्ञान, गुर्जर निवासी हिंगोट्या तहसील गंगापुर सिटी
3. गुड्डी पुत्री हरज्ञान पत्नी रमेश, गुर्जर, नयगांव तहसील बामनवास
4. चन्द्रकलां पुत्री हरज्ञान पत्नी भगवानसिंह, गुर्जर,गहनोली तह0बामनवास
5. कैलाशी पत्नी रामसिंह, गुर्जर निवासी हिंगोट्या तहसील गंगापुर सिटी
6. श्रीराम पुत्र रामसिंह, गुर्जर निवासी हिंगोट्या तहसील गंगापुर सिटी

——प्रार्थीगण

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र रामधन, गुर्जर निवासी हिंगोट्या तहसील गंगापुर सिटी
2. प्रेमसिंह पुत्र रामधन, गुर्जर निवासी हिंगोट्या तहसील गंगापुर सिटी
3. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री मोहम्मद इस्लाम,एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि ख0नं0 108 रकबा 0.58 है0, ख0नं0 112 रकबा 0.34 है0, ख0नं0 125 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 263 रकबा 1.43 है0, ख0नं0 70 रकबा 0.02 है0 ग्राम हिंगोट्या में स्थित है जिसके सहखातेदार प्रार्थीगण एवं अमरसिंह, प्रेमसिंह, रामसिंह हैं। रूपसिंह लाऔलाद फौत हो चुका है, प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी अमरसिंह, प्रेमसिंह उसके एकमात्र वारिस हैं। भूमि हाल ख0नं0 71 रकबा 2.53 है0 ग्राम हिंगोट्या के प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी अमरसिंह, प्रेमसिंह, रामश्री एवं कैलाश सहखातेदार हैं। अप्रार्थी अमरसिंह, प्रेमसिंह की नियत खराब है। वे अप्रार्थी रूपसिंह के हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते हैं जबकि उक्त भूमि के प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सहखातेंदार हैं। अप्रार्थी प्रेमसिंह बिना विभाजन के ही भूमि को खुर्दबुर्द करने पर आमादा है। अप्रार्थी प्रेमसिंह व अमरसिंह ने धमकी दी है कि वह बिना विभाजन के ही अपने हिस्से को कहीं दीगर जगह रहन वय करेगा। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा इस अमर से पाबंद फरमाया जावे कि वह बिना विभाजन भूमि हाल ख0नं0 108, 112, 125, 125, 103, 70, 71 ग्राम हिंगोट्या में दर्ज अपने हिस्से को रहन वय नहीं करें तथा रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखें एवं तहसीलदार जी को रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश फरमाए जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुए। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 प्रस्तुत की है।

बहस विद्वान वकील प्रार्थीगण सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्धांन वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 के अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज है। भूमि का विधिवत विभाजन करवाए बिना अप्रार्थीगण को भूमि खुर्दबुर्द करने या हिस्सा विशेष का बेचान करने का अधिकारी नहीं है। फलस्वरूप हम इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.8.2018 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय होने तक कन्फर्म करना उचित समझते हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.8.2018 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को मूल वाद के निर्णय होने तक कन्फर्म किया जाकर आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थीगण भूमि ख0नं0 108, 112, 125, 103, 70, 71 स्थित ग्राम हिंगोट्या में किसी हिस्सा विशेष का बेचान नहीं करें तथा मौका व रेकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 13.3.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स०मा०)

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2020.03.16 14:02:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: